रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22042026-271977
CG-DL-E-22042026-271977

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1923] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 22, 2026/वैशाख 2, 1948
No. 1923] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 22, 2026/VAISAKHA 2, 1948

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2026

का.आ. 1994(अ).—केंद्र सरकार, ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम, 2025 (2025 का 32) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 01 मई, 2026 को उस तिथि के रूप में नियत करती है, जिस तिथि को उक्त अधिनियम प्रवृत्त होंगे|

[फा. सं .एए-11018/1/2025-सीएल एवं ईएस]

अजीत कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd April, 2026

S.O. 1994(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Promotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025 (32 of 2025), the Central Government hereby appoints the 1st day of May, 2026 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[F. No. AA-11018/1/2025-CL&ES]

NOTIFICATION

6. प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्य.—(1) प्राधिकरण अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा और निम्नलिखित शक्तियों और कार्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:—

(क) इन नियमों के भाग III तथा नियम 26 के उपबंधों के अनुसार ऑनलाइन धनीय खेल में अवधारित ऑनलाइन खेलों की सूची बनाना और प्रकाशित करना;

(ख) अधिनियम के अधीन उसके द्वारा अवधारित या पंजीकृत ऑनलाइन खेलों का अभिलेख रखना और ऐसे अभिलेख को यथास्थिति अपनी वेबसाइट या मोबाइल आधारित एप्लिकेशन या दोनों पर प्रकाशित करना;

(ग) किसी ऑनलाइन खेल से संबंधित किसी शिकायत की जांच करना;

(घ) किसी भी ऑनलाइन खेल के प्रस्ताव, आयोजन या सुकर बनाने वाले और ऑनलाइन खेलों से संबंधित विज्ञापनों तथा किसी ऑनलाइन खेल के लिए वित्तीय संव्यवहारों या निधियों के प्राधिकार के संबंध में निदेश या आदेश जारी करना;

(ङ) ऑनलाइन खेलों के प्रस्ताव के संबंध में दिशानिर्देश या आचार संहिताएँ केन्द्रीय सरकार से परामर्श से जारी करना;

(च) शिकायतों के संबंध में ऑनलाइन खेल सेवा प्रदाता के निर्णयों के लिए अपीलों को ग्रहण करना;

(छ) अधिनियम के प्रभावी प्रवर्तन हेतु वित्तीय संस्थानों, विधि प्रवर्तन अभिकरणों और केन्द्रीय या राज्य सरकार के अन्य अभिकरणों, प्राधिकरणों या विनियामकों के साथ समन्वय करना;

(ज) इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करने में केन्द्रीय सरकार की सहायता करना;

(झ) अधिनियम के उद्देश्यों को अग्रसर करने हेतु परामर्शी निदेश जारी करना;

(2) प्राधिकरण, स्वप्रेरणा से अथवा अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन जारी किसी निदेश या आदेश से प्रभावित किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर लिखित रूप में कारण अभिलिखित करते हुए ऐसे निदेश या आदेश को उपांतरित, जैसा वह उचित समझे उस अवधि के लिए निलंबित या रद्द कर सकता है और ऐसी शर्तें आरोपित कर सकता है जिन्हें वह उपयुक्त समझे, जिनके अधीन ऐसा उपांतरण, निलंबन या रद्दकरण प्रभावी होगा।

(3) इन नियमों के प्रयोजनों के लिए किसी आवेदक या ऑनलाइन खेल सेवा प्रदाता द्वारा प्राधिकरण को दी गई कोई जानकारी गोपनीय मानी जाएगी और विधि द्वारा या किसी सक्षम अधिकारिता के न्यायालय के आदेश द्वारा अपेक्षित होने के अलावा प्रकाशित या अन्यथा प्रकट नहीं की जाएगी।

(4) प्राधिकरण, ऑनलाइन सामाजिक खेलों और ई-खेलों के प्रस्ताव के संबंध में निदेश या आदेश, दिशानिर्देश या आचार संहिताएँ जारी कर सकता है, निम्नलिखित सहित:—

(क) पंजीकरण की प्रक्रिया तथा उसके निलंबन, रद्दकरण या अभ्यर्पण के लिए;

(ख) शिकायत निवारण तंत्र के लिए;

(ग) उपयोक्ता सत्यापन के लिए;

(घ) यदि कोई धन जमा हो और वित्तीय संव्यवहारों को सुकर बनाने या निधियों के प्राधिकार के लिए;

(ङ) ऑनलाइन खेल के प्रचालन से संबंधित किसी भी सूचना का प्रतिधारण, जिसमें ट्रैफिक आंकड़ा, मेटाडेटा या अन्य संबंधित सूचना सम्मिलित है के लिए;

(च) ऑनलाइन खेल सेवा प्रदाताओं के लिए संदाय को सुकर, रूटिंग तथा व्यवस्थापन जिसमें पंजीकृत ऑनलाइन खेल के संबंध में उपयोक्ता संदायों और राजस्वों की रूटिंग सम्मिलित है, के लिए;

(छ) निष्पक्ष खेल के मानक और उपाय के लिए;

(ज) साइबर सुरक्षा के लिए;

(5) प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में होगा।

(6) प्राधिकरण भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय होगा और, यथासंभव, एक डिजिटल कार्यालय के रूप में कार्य करेगा और तकनीकी-कानूनी उपायों को एक रीति में अपना सकता है जिनसे कार्यवाही इस प्रकार संचालित की जा सके कि किसी व्यष्टि की भौतिक उपस्थिति आवश्यक न हो।

(7) अध्यक्ष, प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन में सहायता हेतु जैसा आवश्यक समझे ऐसे विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकते हैं जो वित्त मंत्रालय द्वारा अधिकथित मानकों के अनुसार भत्ते के हकदार होंगे।

4. प्राधिकरण की कार्यवाही.—(1) प्राधिकरण निम्नलिखित के अधीन अपने कार्यों के निष्पादन और अपने कार्य के संचालन, डिजिटल रूप से हो या भौतिक रूप से हो, में ऐसी प्रक्रिया का ऐसी रीति से पालन करेगा जैसा वह आवश्यक समझे और अपने आदेशों, निदेशों, दस्तावेजों और लिखतों को प्रमाणित करेगा:

(क) अध्यक्ष प्राधिकरण की बैठकों की तिथि, समय और स्थान निर्धारित करेंगे, उनके लिए कार्यसूची के मदों को अनुमोदित करेंगे और उसको विनिर्दिष्ट करने वाली नोटिस को अध्यक्ष या प्राधिकरण के सचिव के हस्ताक्षर से निर्गत कराएंगे;

(ख) प्राधिकरण की बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित वरिष्ठतम सदस्य द्वारा की जाएगी;

(ग) बैठकों के लिए कोरम कार्यशील संख्या का आधा होगा चाहे बैठक में डिजिटल या भौतिक रूप से उपस्थित हो।

(घ) प्राधिकरण की किसी बैठक के समक्ष आने वाले सभी प्रश्नों का निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और मतों की बराबरी की स्थिति में अध्यक्ष या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा;

(ङ) यदि प्राधिकरण की एक बैठक के किसी कारबार के मद जिसका संचालन होना हो, में किसी सदस्य का कोई व्यक्तिगत हित हो तो ऐसा सदस्य उसमें भाग नहीं लेगा और न ही उस पर मतदान करेगा;

(च) अध्यक्ष, लिखित रूप में कारण अभिलिखित करते हुए एक आकस्मिक स्थिति जिसमें प्राधिकरण द्वारा त्वरित कार्रवाई आवश्यक हो और प्राधिकरण की बैठक बुलाना संभव न होने की दशा में जैसी आवश्यकता हो वैसी कार्रवाई कर सकते हैं, जिसकी सूचना ऐसी कार्रवाई के तीन दिनों के भीतर सभी सदस्यों को दी जाएगी और उसे प्राधिकरण की अगली बैठक में अनुसमर्थन हेतु प्राधिकरण के समक्ष रखा जाएगा;

(छ) किसी एक कारबार का मद या विषय जिस पर प्राधिकरण का निर्णय अपेक्षित हो, अध्यक्ष परिचालन द्वारा सदस्यों को संदर्भित करने के लिए निदेश दे सकता है और ऐसे मद का निर्णय सदस्यों के बहुमत से अनुमोदन से किया जा सकेगा;

(ज) प्राधिकरण के अध्यक्ष या कोई भी सदस्य या प्राधिकरण के सचिव, प्राधिकरण के आदेश या लिखतों को अपने हस्ताक्षर और मुहर के साथ प्रमाणित कर सकते हैं।

(2) प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इन कारणों से अविधिमान्य नहीं मानी जाएगी—

(क) प्राधिकरण के गठन में किसी रिक्ति या किसी त्रुटि;

(ख) प्राधिकरण के अध्यक्ष या दूसरे सदस्य के तौर पर काम करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में किसी त्रुटि; या

(ग) प्राधिकरण की कार्यवाही में किसी अनियमितता जो किसी मामले के गुणागुण को प्रभावित नहीं कर रही है।

5. अध्यक्ष की शक्तियाँ.—प्राधिकरण का अध्यक्ष निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा, अर्थात्:—

(क) प्राधिकरण के सभी प्रशासनिक विषयों के संबंध में प्राधिकरण के सामान्य अधीक्षण तथा आवश्यक निदेश देना;

(ख) प्राधिकरण को संबोधित किसी भी आवेदन, प्रज्ञापना, शिकायत, संदर्भ या पत्राचार की जांच करने के लिए प्राधिकरण के किसी अधिकारी को अधिकृत करना;

(ग) किसी एक सदस्य या सदस्यों के समूह द्वारा प्राधिकरण के किसी कार्य का निष्पादन और उसकी किसी कार्यवाही के संचालन हेतु अधिकृत करना।

(घ) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय ऑनलाइन खेल प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ङ) "पंजीकरण प्रमाणपत्र" से नियम 14 के उप-नियम (1) के अधीन जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(च) "अवधारण आदेश" से नियम 10 के उप-नियम (2) के अधीन प्राधिकरण द्वारा अवधारण संपात होने पर जारी अवधारण आदेश अभिप्रेत है;

(छ) "शिकायत" से किसी उपयोक्ता द्वारा ऑनलाइन खेल सेवा प्रदाता को किसी कार्य, लोप, सेवा, निर्णय या पद्धति से संबंधित लिखित या डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की गई शिकायत या अभ्यावेदन अभिप्रेत है;

(ज) "ऑनलाइन खेल सेवा प्रदाता" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो अकेले या संयुक्त रूप से एक या अधिक ऑनलाइन खेल प्रस्तावित करता है, क्रियाशील करता है, संचालित करता है, प्रबंधित करता है, या उपलब्ध कराता है;

(झ) "उपयोक्ता सुरक्षा विशिष्टता" से समुचित हो सकने वाले ऐसे तकनीकी, प्रक्रियात्मक, संक्रियात्मक, व्यावहारिक या प्रणाली संबंधी सुरक्षा उपाय अभिप्रेत हैं जो किसी ऑनलाइन खेल सेवा प्रदाता द्वारा किसी ऑनलाइन सामाजिक खेल या ई-खेल के संबंध में ऑनलाइन सामाजिक खेल या ई-खेल की प्रकृति तथा उससे संबंधित जोखिमों को ध्यान में रखते हुए प्रदान किए गए हैं,—

(i) उपयोक्ताओं को ऐसे ऑनलाइन खेल के अभिगम या उपयोग से उद्भूत होने वाले किसी भी वित्तीय, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सुरक्षा संबंधी या सामग्री संबंधी जोखिमों से संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य के लिए;

(ii) उत्तरदायी ऑनलाइन खेल को संवर्धित करने, क्षति के निवारण करने, पारदर्शिता बढ़ाने, उपयोक्ताओं को सूचित विकल्प चुनने में सक्षम बनाने और ऑनलाइन खेल परिवेश की अखंडता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए।

स्पष्टीकरण.—इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, ऐसे सुरक्षा उपायों में आयु सत्यापन या आयु प्रतिबंध तंत्र, समय सीमा, अभिभावकीय नियंत्रण, उपयोक्ता द्वारा रिपोर्ट करने और शिकायत निवारण तंत्र, परामर्श सहायता और निष्पक्ष खेल और निगरानी उपकरण भी इन नियमों के उद्देश्य के लिए सम्मिलित हैं।

(2) शब्द और पद, जो इसमें प्रयुक्त की गई हैं और परिभाषित नहीं की गई हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं उनसे वही अभिप्रेत होगा जो क्रमश: अधिनियम में दिए गए हैं।

भाग II

भारतीय ऑनलाइन खेल प्राधिकरण

3. प्राधिकरण की संरचना.—(1) प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(क) अपर सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नामित संयुक्त सचिव की पंक्ति से अनिम्न कोई अन्य अधिकारी, अध्यक्ष, पदेन;

(ख) संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, पदेन सदस्य;

(ग) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, पदेन सदस्य;

(घ) संयुक्त सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, पदेन सदस्य;

(ङ) संयुक्त सचिव, युवा मामले और खेल मंत्रालय, पदेन सदस्य; और

(च) संयुक्त सचिव, विधि कार्य विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, पदेन सदस्य।

(2) खंड (ख) से (च) में उल्लिखित सदस्यों का नामांकन संबंधित मंत्रालय या विभाग के सचिव द्वारा किया जाएगा।

(3) केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भी सम्मिलित है, के निदेशक की पंक्ति से अनिम्न अधिकारी को प्राधिकरण के सचिव के रूप में नियुक्त कर सकती है और ऐसे अधिकारी को केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों या कर्मचारियों में से प्रतिनियुक्ति पर ले सकते हैं।

(4) केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण के कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसी संख्या मे अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकती है, जिसे वह आयश्यक समझे या ऐसे अधिकारी या कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों या कर्मचारियों में से प्रतिनियुक्ति पर ले सकते हैं।